2020 का विधेयक संख्यांक 101

[दि जूडिशियस यूज ऑफ टैक्स रेवेन्यू (फॉर गवर्नमेन्ट एडवरटिजमेंट्स) बिल, 2020 का हिन्दी रूपान्तर]

श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य

का

कर राजस्व का न्यायसम्मत उपयोग (सरकारी विज्ञापनों के लिए) विधेयक, 2020

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, निर्वाचित और नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधियों, राजनीतिज्ञों और राजनीतिक दलों, प्रतीकों और रंगों के किसी भी प्रकार के संप्रवर्तन के लिए कर राजस्व के उपयोग को सख्ती से प्रतिषिद्ध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कर राजस्व का न्यायसम्मत उपयोग (सरकारी विज्ञापनों के लिए) अधिनियम, 2020 है।

(*2*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) ''विज्ञापन'' से मुद्रित, दृश्य-श्रव्य या आउटडोर मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार का संप्रवर्तन या जागरूकता बढ़ाने का कार्य अभिप्रेत है;

(ख) ''वार्षिक प्रतिवेदन'' से वर्ष भर में विज्ञापन व्यय, उसका आवंटन और समुचित सरकार द्वारा ली गई विषय-वस्तु का ब्यौरा प्रदान करने वाला कोई प्रतिवेदन अभिप्रेत है;

(ग) ''समुचित सरकार'' से विधानमंडल वाले राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के मामले में, संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र सरकार, जैसा भी मामला हो, और अन्य सभी मामलों में, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(घ) ''प्राधिकरण'' से धारा 5 के अंतर्गत कर राजस्व के समुचित उपयोग के लिए गठित प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ङ) ''जागरूकता'' से सूचना और संचार अभियानों के माध्यम से नागरिकों को शिक्षित करना अभिप्रेत है;

(च) ''न्यायालय'' से देश का उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अभिप्रेत है;

(छ) ''राजनीतिक दलों'' से स्वयं का नाम और प्रतीक के साथ भारत के निर्वाचन आयोग के साथ रजिस्ट्रीकृत होने वाले सभी राजनीतिक दल अभिप्रेत है; और

(ज) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

सरकार और राजनीतिक दलों के संप्रवर्तन के लिए कर राजस्व के विनियोजन पर पाबंदी लगाना।

3. केन्द्रीय सरकार, निर्वाचित और नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधियों, राजनीतिज्ञों और राजनीतिक दलों, राजनीतिक दलों के प्रतीकों और रंगों के संप्रवर्तन के प्रयोजन से उपकर, टैरिफ और भारत की संचित निधि से किसी संसाधन सहित कर राजस्व का विनियोजन, सख्ती से प्रतिषिद्ध होगा।

केवल सामाजिक और विकास के प्रयोजनार्थ कर राजस्व का उपयोग।

4. केंद्रीय सरकार यथाविहित रीति से विज्ञापन के लिए भारत की संचित निधि से निधियों को केवल तब ही विनियोजित करेगी, जब वह जागरूकता बढ़ाता हो और नागरिकों के कल्याण की अभिवृद्धि करता हो।

कर राजस्व के समुचित उपयोग संबंधी प्राधिकरण का गठन।

5. (*1*) केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जो वह नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा जिसे कर राजस्व का समुचित उपयोग प्राधिकरण के नाम से जाना जाएगा और यह निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात:-

(क) भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त-उपाध्यक्ष, पदेन;

(ख) उच्चतम न्यायालय के चार सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीश-सदस्य, पदेन; और

(ग) भारत के चार पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त-सदस्य पदेन।

(*2*) केन्द्रीय सरकार उतनी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारिवृंद की नियुक्ति करेगी जो वह प्राधिकरण के कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे।

(*3*) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद को संदेय वेतन और भत्ते तथा निबंधन की शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

प्राधिकरण की बैठकें।

6. (*1*) प्राधिकरण अपनी बैठकों में कार्य किए जाने के संबंध में ऐसे समय और स्थानों पर बैठकें करेगा तथा प्राधिकरण द्वारा यथाविहित प्रक्रिया नियमों का पालन करेगा।

(*2*) धारा 5 के उप-खंड (क) से (घ) में निर्दिष्ट सदस्यों द्वारा बैठकों में भाग लेने के लिए होने वाला व्यय भारत की संचित निधि में से किया जाएगा।

प्राधिकरण के प्रकार्य।

7. (*1*) प्राधिकरण ऐसे प्रकार्यों का निर्वहन करेगा, जो देश के नागरिकों के कल्याण और विकास के लिए ही कर राजस्व के समुचित उपयोग करने तथा राजनीतिज्ञों, राजनीतिक दलों और प्रतीकों के संप्रवर्तन के लिए इसके उपयोग का प्रतिषेध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।

(*2*) उप-धारा (*1*) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण,—

(क) विज्ञापन व्यय के वर्तमान आवंटन और स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आशयित परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर इसके प्रभाव के बारे में व्यापक डाटा एकत्र करने के लिए प्राधिकरण की स्थापना के एक वर्ष के भीतर एक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करेगा;

(ख) जागरूकता बढ़ाने और नागरिकों के कल्याण के लिए विज्ञापनों में समुचित सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले विनियम तैयार करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:—

(*i*) विज्ञापन की प्रकृति, जनसंख्या जिस तक वह पहुंचने का प्रयास कर रहा है, भौगोलिक क्षेत्र जिनमें यह समस्या या मुद्दा व्याप्त है, समस्या की गंभीरता और प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त समझा जाने वाले अन्य किसी मानदण्ड के आधार पर विज्ञापन पर व्यय;

(*ii*) विज्ञापन आवंटन के लिए व्यय की गणना करते समय उप-खंड (i) के अंतर्गत उल्लिखित कारकों में से प्रत्येक को दिए जाने वाला अधिमान; और

(*iii*) राजनीतिज्ञों, लोक प्रतिनिधियों, केंद्रीय सरकार के किसी भी सदस्य के चित्रों, राजनीतिक दलों के प्रतीकों तथा नारों और प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त समझा जाने वाले अन्य किसी मानदंड के उपयोग पर प्रतिबंध; और

(ग) पाठकों के आंकड़ों, किसी क्षेत्र विशेष में नागरिकों के मध्य समाचार-पत्र विशेष की प्रति व्यक्ति पहुंच, बोली जाने वाली देशी भाषा और समय-समय पर प्राधिकरण में यथाअवधारित ऐसे अन्य कारकों के आधार पर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रकाशकों के बीच समुचित सरकार के विज्ञापनों के वितरण हेतु पारदर्शी और निष्पक्ष नीति तैयार करना।

सरकार द्वारा विज्ञापन संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करेंगे।

8. लोगों के कर राजस्व द्वारा प्रायोजित प्रत्येक विज्ञापन संविधान में यथाउल्लिखित हमारे देश की संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक प्रकृति को बनाए रखने के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के सिद्धातों का पालन करेगा और किसी भी एक समुदाय, जाति, वर्ग, धर्म, भाषा या अधिवास के प्रति कोई पक्षपात नहीं करेगा या तरजीह नहीं देगा।

अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति।

9. यदि कोई राजनीतिज्ञ, लोक प्रतिनिधि या कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, तो उसे उसके पद से निलंबित कर दिया जाएगा और सुनवाई का तर्कसंगत अवसर प्रदान किए जाने के बाद वह जुर्माने, जिसकी राशि एक करोड़ रुपए तक हो सकती है या एक वर्ष के कारावास या दोनों का दायी होगा:

परंतु यह कि यदि कोई राजनीतिज्ञ अपने जीवनकाल में दूसरी बार स्वयं या अपनी पार्टी के संप्रवर्तन के लिए कर राजस्व का उपयोग करता है तो उसे भविष्य में चुनाव लड़ने या लोक पद धारित करने से निरर्ह किया जाएगा।

वार्षिक प्रतिवेदन और उसे संसद के समक्ष रखा जाना।

10. (*1*) समुचित सरकार प्रत्येक वर्ष, वर्ष भर में विषय-वस्तु के सार और विभिन्न योजनाओं पर किए गए विज्ञापन व्यय को दर्शाने वाला एक वार्षिक प्रतिवेदन यथा विहित रीति से तैयार करेगी और इसमें सभी मंत्रालयों द्वारा वार्षिक लेखे के वितरण अंतर्विष्ट होंगे।

(*2*) प्रतिवेदन की एक प्रति केंद्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएगी और केन्द्रीय सरकार प्रतिवेदन को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी।

निधियों की लेखापरीक्षा।

11. (*1*) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संप्रवर्तन और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए समुचित सरकार द्वारा विज्ञापनों में उपयोग की गई निधियों की लेखापरीक्षा करेंगे, जिसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

(*2*) उप-धारा (*1*) के अधीन लेखापरीक्षा करते समय यदि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को किसी गलत आबंटन का पता चलता है, तो न्यायालय व्यय के किसी गलत आबंटन का स्वत: संज्ञान ले सकेंगे और चूककर्ता राजनीतिज्ञों को धारा 9 के अनुसार दंडित कर सकेंगे।

व्यय भारत की संचित निधि पर प्रभारित होंगे।

12. इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली निधियां भारत की संचित निधि पर प्रभारित होंगी।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

13. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो प्राधिकरण ऐसा आदेश कर सकेगा या ऐसा निदेश दे सकेगा जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो किसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हों:

परंतु यह कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति।

14. (*1*) प्राधिकरण, समुचित सरकार के परामर्श से इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाएगा।

(*2*) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र अथवा आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन अथवा उसे निष्प्रभावी करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा निष्प्रभावी होगा। किंतु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(*3*) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

केन्द्रीय सरकार प्रिंट और डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया में विज्ञापनों और प्रचार पर नागरिकों करों की एक बड़ी राशि खर्च करती है। इससे लोगों के वे संसाधन समाप्त होते हैं, जिन्हें इस विज्ञापन व्यय को सामाजिक और विकास व्यय में परिवर्तित किए जाने पर अधिक दक्षता के साथ नियोजित किया जा सकता था। इस प्रकार, आधारभूत तर्क यह है कि विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाने वाल धन लोगों का मेहनत से अर्जित किया हुआ धन है (सरकार द्वारा कर राजस्व से एकत्रित), जिसका उपयोग राजनीतिक दलों और उनके पदाधिकारियों द्वारा विज्ञापन के लिए नहीं करके नागरिकों के सामाजिक कल्याण और विकास के लिए किया जाना चाहिए।

वर्ष 2017-18 में, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में चलाए गए संचार अभियानों पर 1,313.57 करोड़ रुपए की राशि व्यय की। यह 2014-15 के विज्ञापन व्यय 979.78 करोड़ रुपए की तुलना में 34% से अधिक की वृद्धि है। ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी) (पूर्ववर्ती डीएवीपी) दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा प्रिंट मीडिया के माध्यम से 636.09 करोड़ रुपए, दृश्य-श्रव्य एवी के माध्यम से 468.93 करोड़ रुपए, आउटडोर विज्ञापन-ओपी के माध्यम से 208.55 करोड़ रुपये खर्च किया है जो कुल मिलाकर 1,313.57 करोड़ रुपए है।

वर्ष 2015 में, उच्चतम न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों पर विषय-वस्तु और व्यय को विनियमित करने के लिए निर्देश जारी किए थे। लेकिन इसके बावजूद, किसी भी राज्य ने अपनी संबंधित समितियों का गठन नहीं किया है तथा केन्द्र और राज्यों ने सरकारी विज्ञापनों की विषय-वस्तु और व्यय के संबंध में उच्चतम न्यायालय के विनियमों का बार-बार उल्लंघन किया है। इस प्रकार सरकारी विज्ञापन की विषय-वस्तु और व्यय को विनियमित करने वाले एक नीतिगत ढांचे की आवश्यकता है।

वर्तमान में, देश में सूचना और प्रसारण मंत्रालय मीडिया क्षेत्र को विनियमित करने और उनके लिए विज्ञापन राजस्व के स्रोत बीओसी के माध्यम से, दोनों रूप में कार्य करता है। इस प्रकार बीओसी तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कर्तव्यों में हितों का अंतर्निहित टकराव है। इस महत्वपूर्ण कमी पर विचार करते हुए, सरकारी विज्ञापन के व्यय और आवंटन पर ध्यान देने और उसे विनियमित करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन करना आवश्यक है, ताकि हितों के टकराव से बचा जा सके।

बीओसी (तत्कालीन डीएवीपी) विभिन्न मंत्रालयों के केन्द्रीय सरकार के विज्ञापन व्यय के लिए जिम्मेदार है। लेकिन विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में सूचना, शिक्षा और संचार अभियानों की प्रभावकारिता को (आईईसी) मापने के लिए कोई प्रभाव आकलन नहीं किया गया है। विधेयक ऐसा करने और नागरिकों के सीखने संबंधी परिणामों पर विज्ञापन के पड़ सकने वाले प्रभाव के आधार पर तद्नुरूपी व्यय का आवंटन करने और स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के विज्ञापन के लिए व्यय करने का प्रस्ताव करता है।

लोक प्रतिनिधियों (जिनमें निर्वाचित और नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि, अपने दल के भीतर राजनीतिक पदधारी कार्यकारी और राजनीतिज्ञ जिसमें पार्टी प्रमुख/अध्यक्ष शामिल हैं), राजनीतिक दलों, उनके प्रतीकों और रंगों का संप्रवर्तन किसी भी रूप में लोगों के करों की कीमत पर किए जाने को सख्ती से प्रतिषिद्ध किए जाने की आवश्यकता है। विधेयक में विज्ञापनों में केवल जागरूकता फैलाने से संबंधित संकेतकों को शामिल करने का उपबंध है, जिन पर राजनीतिज्ञों की कोई तस्वीर (मृत या जीवित) नहीं होगी। विधेयक एक ऐसे प्राधिकरण का उपबंध करता है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पोस्टर और विज्ञापनों के डिजाइन के संबंध में केन्द्र द्वारा अपनाए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त विनिर्देशनों का निर्णय करेगा। इस प्रकार विधेयक प्रचार की अपेक्षा सामाजिक और विकास संकेतकों में सुधार के लिए संसाधनों के अपवर्तन का समर्थन करता है। विधेयक में प्राधिकरण के लिए राज्य सरकारों द्वारा पालन किए जाने वाले विज्ञापन विनियमों को बनाने का भी उपबंध है। राज्य सरकारें तब इन विनियमों के आधार पर अपने संबंधित राज्यों के लिए विधियां बनाएंगी।

विधेयक उन व्यापक सिद्धांतों का उपबंध करता है जिनका पालन प्राधिकरण को मंत्रालयों द्वारा विज्ञापन के लिए दिशानिर्देश तैयार करते समय करना चाहिए। विधेयक प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए विनियमों के किसी भी एक समुदाय, जाति, वर्ग, धर्म, भाषा या अधिवास के प्रति पक्षपात या अधिमानता के बिना पंथनिरपेक्षता और समता के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुपालन के लिए अधिदेशित करता है।

विधेयक सरकार द्वारा ऐसे पोस्टरों और विज्ञापनों के लिए उपबंध करता है जो नागरिकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए जाते हैं, जो उस संबंधित क्षेत्र की स्थानीय देशी भाषा में हो जहां विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। चूंकि विज्ञापन का आशय केवल लोगों में जागरूकता को बढ़ावा देना है, इसलिए इनका उसी भाषा में होना तर्कसंगत है जिसे वे समझते हैं। अत: विधेयक सरकारी विज्ञापनों में किसी भाषा विशेष को प्राथमिकता देने का भी सख्ती से प्रतिषेध करता है।

सीएजी सरकार द्वारा जागरूकता को बढ़ावा देने और उसके सृजन के लिए विज्ञापनों में उपयोग की गई निधियों की लेखापरीक्षा करता है, जिसे संसद की दोनों सभाओं के समक्ष रखा जाएगा। न्यायालय इस विधेयक के उपबंधों के अनुसार व्यय के किसी गलत आवंटन के बारे में स्वत: संज्ञान ले सकते हैं और चूककर्ता राजनीतिज्ञों को दंडित कर सकते हैं।

विधेयक में इसके उपबंधों का उल्लंघन करने पर दण्ड का प्रावधान है और यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका या राजनीतिज्ञ लोग मतदाताओं के प्रति जवाबदेह हों। दंडात्मक प्राधिकार उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के पास होगा। न्यायालय इस विधेयक के अंतर्गत किए गए अपराध का संज्ञान ले सकते हैं और चूककर्ता राजनीतिज्ञों को दंडित कर सकती हैं/उन पर अभियोजन चला सकती है।

अपने मामले को न्यायोचित ठहराने के लिए, चूककर्ता प्रतिनिधि को न्यायालय में सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा। यदि चूक पाई जाती है तो राजनीतिज्ञ को उसके पद से निलंबित कर दिया जाएगा और वह एक करोड़ रुपए के जुर्माने या एक वर्ष के कारावास या दोनों का दायी होगा। यदि कोई राजनीतिज्ञ अपने जीवनकाल में दूसरी बार स्वयं या अपनी पार्टी को बढ़ावा देने के लिए कर राजस्व का उपयोग करता है, तो उसे भविष्य में चुनाव लड़ने या लोक पद धारित करने से निरर्ह घोषित किया जाएगा। यदि विज्ञापनों में राजनीतिक दल के प्रमुख/अध्यक्ष की फोटो प्रसारित हो रही है, तो वह चूक की गहनता पर निर्भर करते हुए तथा न्यायालयों के यथानिर्णय अनुसार एक करोड़ रुपये के जुर्माने या एक वर्ष के कारावास या दोनों का दायी होगा।

पेड न्यूज से संबंधित मुद्दों पर अपने 47वें प्रतिवेदन में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने डीएवीपी की विज्ञापन वितरण नीति पर कुछ टिप्पणियां की थीं। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा विज्ञापनों के वितरण के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष नीति को लागू करना; प्रिंट मीडिया में विज्ञापन वितरण की संवीक्षा में वृद्धि करना; और विज्ञापन व्यय के संवितरण के प्रकटीकरण के बारे में समिति की सिफारिशों को इस विधेयक में मूर्त रूप दिया गया है।

विधेयक प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय किए जाने वाले विज्ञापन व्यय के लिए व्यापक दिशानिर्देश मुहैया कराता है। आवंटन का निर्णय विज्ञापन की प्रकृति, जनसंख्या जिस तक यह पहुंचने का प्रयास कर रहा है, वह भौगोलिक क्षेत्र (जिसकी समस्या/मुद्दे के संबंध में विज्ञापन जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है) और समस्या की गहनता और प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय किए जाने वाले अन्य मानदण्डों के आधार पर किया जाएगा।

अत: विधेयक नागरिकों के कल्याण और उनके बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापनों पर सरकारी खर्च को सीमित करके लोगों के कर संसाधनों के उपयुक्त उपयोग का समर्थन करता है। यहां तक कि विधेयक अनुमेय विज्ञापनों में भी केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, निर्वाचित और नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधियों, राजनीतिज्ञों और राजनीतिक दलों, प्रतीकों और रंगों के सभी प्रकार के प्रचार का सख्ती से प्रतिषेध करता है।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
28 अक्तूबर, 2019

सुप्रिया सुले

संविधान के अनुच्छेद 117(1) और 117(3) के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश

[लोक सभा के महासचिव को संबोधित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर के दिनांक 22 मई, 2020 के पत्र सं॰ एच-11018/4/2019-एमयूसी-I की प्रति]

राष्ट्रपति ने श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य के कर राजस्व का न्यायसम्मत उपयोग (सरकारी विज्ञापनों के लिए) विधेयक, 2019 की विषय-वस्तु से अवगत कराए जाने पर संविधान के अनुच्छेद 117(1) के अंतर्गत विधेयक को लोक सभा में पुर:स्थापित करने और अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत विधेयक पर सभा में विचार किए जाने की सिफारिश की है।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 5 कर राजस्व के न्यायसम्मत उपयोग के लिए प्राधिकरण के गठन का उपबंध करता है। यह प्राधिकरण के कार्यकरण के लिए अधिकारियों और कर्मचारिवृंद की कुल संख्या की नियुक्ति का भी उपबंध करता है। खंड 12 में उपबंध है कि इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक निधियां भारत की संचित निधि पर प्रभारित होंगी। अत:, विधेयक के अधिनियमित होने पर पांच करोड़ रुपए का वार्षिक आवर्ती व्यय होगा जो भारत की संचित निधि से लिया जाएगा।

इस पर एक करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय होने की संभावना भी है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खंड 7 प्राधिकरण को नागरिकों के कल्याण के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु विज्ञापन में समुचित सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले विनियमों को बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। खंड 14 प्राधिकरण को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आवश्यक नियम बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। चूंकि विनियम और नियम केवल ब्यौरे के मामलों से संबंधित होंगे, इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, निर्वाचित और नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधियों, राजनीतिज्ञों और राजनीतिक दलों, प्रतीकों और रंगों के किसी भी प्रकार के संप्रवर्तन के लिए कर राजस्व के उपयोग को सख्ती से प्रतिषिद्ध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए

विधेयक

(श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य)

MGIPMRND—133LS(S3)—08.09.2020.